आरक्षित

नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय

2022 की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 52

राशिद राव ..... आवेदक

बनाम।

उत्तराखंड राज्य.....प्रतिवादी

वर्तमानः श्री आदित्य सिंह, आवेदक के वकील।

श्री ललित मिगलानी, ए.जी.ए.

निर्णय

माननीय रविंद्र मैथानी, जे।

आवेदक राशिद राव के विरूद्ध थाना पटेल नगर जिला देहरादून में पंजीकृत एफआईआर संख्या 100/2020/अन्तर्गत धारा 376, 323, 504, 506 आई.पी.सी. में विचारण चल रहा है, उन्होंने इसी मामले में अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है।

2. आवेदक की अंतरिम जमानत याचिका को दिनांक 09.02.2022 को फास्ट टैक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश, पोक्सो/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून प्रार्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि आवेदक (कानून का उल्लघंन करने वाला बालक) (''सी.आई.एल.'') है और किशोर न्याय (देखभाल) बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2015 (''अधिनियम'') के तहत इस अधिनियम में अग्रिम जमानत के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस आवेदन को स्वीकारनहीं किया जा सकता।

3. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय की बहस की जायेगी कि आवेदक को गुण–दोष के आधार पर नहीं सुना गया है। जमानत में अग्रिम जमानत भी शामिल है। किशोर न्याय बोर्ड (''जेजे बोर्ड'') द्वारा भी अंतरिम जमानत प्रदान की जा सकती है। अंतरिम जमानत के प्रावधान उस आरोपी के पक्ष में हैं, जिसे गिरफ्तारी की आशंका, जो कि जरूरी/लाभकारी फायदेमंद है आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए और इसे अस्वीकार करना सी.आई.एल. विधायिका की मंशा नहीं है। यद्यपि आरोप पत्र दाखिल हो जाये तक भी अंतरिम जमानत आवेदन हेतु

रोक नहीं लगाई जाती है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीआईएल के पास इसके तहत अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। कानून, यदि नहीं, तो एक अभियुक्त के बराबर है, जो कि अभियुक्त से इस अधिनियम द्वारा शासित नहीं है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि, आवेदक की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचारणीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि आवेदक अंतरिम जमानत का हकदार है।

4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं कि यह कि अधिनियम सी.आई.एल. के हित के लिए एक लाभकारी अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत (कानून का उल्लघंन करने वाला बालक) सी.आई.एल. को पुलिस स्टेशन या जेल में नहीं रखा जा सकता है। उसे पुलिस हिरासत में भी नहीं दिया जाता है। बच्चे की सुरक्षा को जेजे बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, इसके अलावा, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शुरूआत में आवेदक/प्रार्थी के खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत में आरोप पत्र अर्न्तगत फौजदारी वाद संख्या–2323/2020 राज्य बनाम राशिद के तहत योजित हुआ व दिनांक 17.07.2020 को संज्ञान लिया गया। यह भी तर्क दिया कि तदोपरान्त ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 29.08.2021 को उसे सी.आई.एल. (कानून का उल्ल्घंन करने वाला बालक) घोषित किया गया और मामला किशोर बोर्ड को संदर्भित किया गया है।

यह भी बताया गया कि इसके बाद प्रार्थी किशोर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है, इसलिए उसे इस आधार पर भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।

5. कानून को और अधिक बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यह व्याख्या करने के बजाय कि अधिनियम क्यों बनाया गया था, इसके कारण और उद्देश्य क्या थे, यह उपयुक्त होगा कि अधिनियम के उद्देश्य के कथन व अधिनियम के कारणों को उत्पन्न किया जाये। यह निम्नानुसार हैः–

"उद्देश्यों और कारणों का बयान

संविधान का अनुच्छेद 15, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य को शक्तियां प्रदान करता है बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुच्छेद 39 (3) और (एफ), 45 और 47 आगे राज्य को सुनिश्चित करने के

लिए जिम्मेदार बनाता है कि बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा किया जाये और उनकी बुनियादी जरूरतें मानव अधिकारों की रक्षा की जाये।

2. बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भारत द्वारा अनुमोदित 11 दिसम्बर, 1992, में राज्य दलों से यह अपेक्षित है कि ऐसे बच्चों के मामले जिस पर भी दंडात्मक कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, में सभी उचित उपाय करें जैसे किः– (ए) बच्चे के साथ एक तरीके से व्यवहार करना बच्चे की भावना को बढ़ावा देने के अनुरूप गरिमा और मूल्य (बी) बच्चे के सम्मान को मजबूत करना मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए अन्य (सी) बच्चे की उम्र और बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए बच्चे के पुनः एकीकरण को बढ़ावा देने की वांछनीयता और बच्चे समाज में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

3. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) बालकों का अधिनियम 2000, को इसलिए अधिनियमित किया गया था ताकि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया जा सके। इस अधिनियम में दो बार संशोधन किया गया था इसके कार्यान्वयन में अंतराल को दूर करने के लिए 2006 और 2011 और कानून को अधिक बच्चों के अनुकूल बनाएं। अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं जैसे मुद्दे उठे संस्थानों में बच्चे, अपर्याप्त सुविधाएं, गुणवत्ता घरों में देखभाल और पुनर्वास उपायों की संख्या, उच्च मामलों का लंबित होना, दोषपूर्ण होने के कारण गोद लेने में देरी और अपूर्ण प्रसंस्करण, इसके बारे में स्पष्टता की कमी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और जवाबदेही संस्थान और, मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे कि शारीरिक संबंध सजा, गोद लेने के उद्देश्यों के लिए बच्चों की बिक्री, आदि। मौजूदा नियम की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है

4. इसके अलावा, अपराधों के बढ़ते मामले 16–18 आयु वर्ग के बच्चों द्वारा किया गया अपराध हाल के वर्षों में यह स्पष्ट करता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत वर्तमान

प्रावधान और प्रणाली इस उम्र में बाल अपराधियों से निपटने के लिए सहायक नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित किये गये डेटा से स्पष्ट होता है कि बच्चों द्वारा अपराध 16–18 वर्ष के आयु वर्ग में वृद्धि हुई है विशेष रूप से जघन्य अपराधों की कुछ श्रेणियों में।

5. मौजूदा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) बाल अधिनियम में कई बदलावें की आवश्यकता है, जिससे उपर्युक्त मुद्दे को समाधान किया जा सके और इसलिए, मौजूदा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए और एक व्यापक कानून को फिर से अधिनियमित करना होगा जो अन्य बातों के साथ–साथ देखभाल के सामान्य सिद्धांतों का प्रावधान करना और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के मामले में प्रक्रियाएं देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और संघर्ष में बच्चे कानून, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के साथ ऐसे बच्चों के लिए उपाय, अनाथों को गोद लेना, परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए गए बच्चे, और अपराध बच्चों के खिलाफ प्रतिबद्ध करने के लिए यह कानून होगा। इस प्रकार उचित देखभाल, संरक्षण, विकास सुनिश्चित करना, बच्चों के उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण एक बच्चे के अनुकूल को गोद लेने से कठिन परिस्थिति बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधेयक बनना चाहिए।

6. विधेयक में निहित विभिन्न प्रावधान के बारे खंडो पर नोटस विस्तार से बताते हैंः–

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

6. अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में कहा गया है अधिनियम के उपबंधों पर अभिभावी प्रभाव जो कि इस प्रकार हैः–

''1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और

अनुप्रयोग। **(1)** ... .

(2) ... .

(3) ... .

(4) इसमें निहित किसी भी चीज के बावजूद फिलहाल लागू कोई अन्य कानून, इस अधिनियम के प्रावधान सभी मामलों पर लागू होंगे। देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में और सुरक्षा और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे, सहितदृ।

(i) आशंका, हिरासत, अभियोजन, दंड या कारावास, पुनर्वास और संघर्ष में सामाजिक पुनः एकीकरण नियमय।

(ii) प्रक्रियाएं और निर्णय या आदेश पुनर्वास, गोद लेने से संबंधित, पुनः एकीकरण, और बहाली देखभाल की जरूरत वाले बच्चों और सुरक्षा।

7. धारा 1 की उपधारा (4) का अवलोकन अधिनियम यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि विशेष रूप से कानून में आशंका का मामला, हिरासत, कानून के प्रावधान अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होगा।

8. सी.आई.एल. की आशंका अधिनियम की धारा 10 के तहत की जाती है। यह विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किया जाता है या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा एक सी.आई.एल. पकड़े, यानि गए व्यक्ति को जेजे बोर्ड के समक्ष समयावधि के अंदर पेश किया जाता है। अधिनियम की धारा 12 जमानत के संबंध में प्रावधानित करता है।

9. केवल इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आम तौर पर जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (''संहिता'') को वर्गीकृत किया गया है जो कि दो श्रेणियों के तहत मामले, अर्थात्, जमानती और गैर–जमानती अपराध। जमानती अपराधों के मामले में, जमानत है संहिता के तहत अधिकार के मामले के रूप में दावा किया गया, लेकिन प्रावधान अधिनियम की धारा 12 के तहत शामिल जमानत की काफी अलग है यह प्रावधानित करता है कि सभी मामलों में, जमानत या गैर–जमानती, सीआईएल को जमानत दी जाएगी, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। इसका मतलब है, अगर अधिनियम की धारा 12 (1) के परंतुक में दी गई शर्तें पूरी नहीं होती है, यहां तक कि जमानती मामलों में भी, फिर सी.आई.एल. को जमानत नहीं मिल सकती ।

10. जमानत पर जेजे बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत दिया गया है। यह बोर्ड के सदस्यों की योग्यता भी देता है। अधिनियम का मूल इरादा, जैसा कि इससे स्पष्ट है उद्देश्यों और कारणों का विवरण बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। संहिता की धारा 438 के प्रावधान है इस अधिनियम में लागू नहीं हो सकते।

11. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है और नीचे की अदालत द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सही तरीके से खारिज किया है।

12. मामले का एक और पहलू है। आवेदक इस मामले में उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र में उपस्थित हुआ है। आवेदक ने अपने आपको सी.आई.एल. घोषित करवाने हेतु आवेदन किया। दिनांक 20.09.2021 को, उसे सी.आई.एल. घोषित किया गया था। इसके बाद, जब उसके मामले को रिकॉर्ड के साथ जेजे बोर्ड को भेजा गया, तो आवेदक जेजे बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस हेतु आवेदक के खिलाफ प्रक्रियाएं भी जारी कर दी गई थी। लेकिन उसने प्रक्रियाओं का जवाब नहीं दिया। वास्तव में, यह विद्वान राज्य के अधिवक्ता की ओर से तर्क रखा जाता है कि आवेदक के खिलाफ कि गैर–जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

आवेदक अपनी जेजे बोर्ड के समक्ष उपस्थिति से बच रहा है इस कारण पर भी न्यायालय का विचार है कि आवेदक अग्रिम जमानत के लिए हकदार नहीं है।

13. उपरोक्त परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत देने का कोई कारण पर्याप्त नहीं पाता है। अतः अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

14. अतः अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(रवींद्र मैथानी, जे)

24.05.2022